

कार्यालय महाधिवक्ता, म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर

क्रमांक: 1396 / 2016  
प्रति,

दिनांक: 16-3-16

1. प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन,  
विधि और विधायी कार्य विभाग,  
विध्याचल भवन-भोपाल
2. पुलिस अधीक्षक  
जिला- गुना

विषय:-

आपराधिक अपील क्र. 259/2003 कन्हैयालाल आदि वि० म.प्र. शासन द्वारा  
थाना कुम्भराज जिला गुना

उपरोक्त आपराधिक प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपर सत्र  
न्यायाधीश चाचौड़ा जिला गुना (म.प्र.) द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 150/01 में पारित निर्णय दिनांक  
29.04.03 के संबंध में प्रस्तुत की गई थी। प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.  
01.16 को सुनवाई हेतु नियत होने पर प्रकरण को अंतिम रूप से निराकृत किया गया।

प्रकरण के आदेश के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रकरण में पारित आदेश  
विधि सम्मत होने से प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एस.एल.पी. की कार्यवाही  
किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

संलग्न :- माननीय उच्च न्यायालय के आदेश  
दिनांक 11.01.16 की प्रति

(भानु प्रताप सिंह चौहान)  
शासकीय अधिवक्ता

8696  
20-3-2016

